न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट–तृतीय हरिद्वार।

आदेश

आज मेरे द्वारा सी.आई.एस. सॉफटवेयर का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि वर्तमान में इस न्यायालय में 270 पत्रावलियां अदिनांकित मामलों (Undated Cases) की श्रेणी में दर्शित हो रही है। इस सम्बन्ध में प्रस्तुतकर्ता एवं कार्यालय से स्पष्ट आख्या आहूत हो।

प्रस्तुतकर्ता तथा कार्यालय लिपिक/वरिष्ठ सहायक दिनांक 02.07.2026 तक अपनी सुस्पष्ट आख्या मेरे समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की एक प्रति वास्ते अनुपालनार्थ सम्बन्धित कर्मचारीगण को दी जाये।

दिनांक 30.06.2026

(रोहित कुमार पाण्डेय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट–तृतीय,
हरिद्वार।

दिनांक 02.07.2026

प्रस्तुतकर्ता एवं वरिष्ठ लिपिक के द्वारा अपनी लिखित आख्या प्रस्तुत की गयी। जिसका मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। प्रस्तुतकर्ता श्री भारत भूषण द्वारा प्रस्तुत की गयी आख्या के अनुसार उनके द्वारा नियत दिनांक पर जो पत्रावलियां न्यायालय में प्राप्त होती है, उन्हें उसी दिन सीआईएस सॉफटवेयर पर अग्रिम तिथि के लिए अग्रसारित कर दिया जाता है। परंतु जो पत्रावलियां कार्यालय से प्राप्त नहीं होती है, उन्हें अग्रिम तिथि के लिए अग्रसारित नहीं किया जाता है। जिस कारण कुछ पत्रावलियां सीआईएस सॉफटवेयर पर अदिनांकित दर्शित हो रही है।

वरिष्ट लिपिक श्रीमती रूमा रानी द्वारा प्रस्तुत की गयी आख्या अनुसार सीआईएस सॉफटवेयर पर अदिनांकित दर्शित हो रही 270 पत्रावलियां में से 250 पत्रावलियां मोटर वाहन अधिनियम से सम्बन्धित चालान है। जो कि भौतिक रूप से कार्यालय में नहीं है। अन्य 17 पत्रावलियां पूर्व से ही सीआईएस सॉफटवेयर पर

लंबित है। जिनकी यथा स्थिति के बारे में काफी तलाश करने पर भी जानकारी नहीं हो पायी है। इसके अतिरिक्त अन्य 03 पत्रावलियां कार्य की अधिकता के चलते किसी अन्य तिथि की पत्रावलियों के स्थान पर रखे जाने के कारण न्यायालय में नियत तिथि पर प्राप्त नहीं करायी जा सकी।

उपरोक्त आख्याओं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सीआईएस सॉफटवेयर पर दर्शित हो रही अदिनांकित 270 पत्रावलियां में से 250 पत्रावलियां मोटर वाहन अधिनियम से सम्बन्धित चालान हैं। जो कि भौतिक रूप से कार्यालय में नहीं है।

अतः उपरोक्त चालानों से सम्बन्धित प्रविष्टि को अनावश्यक सीआईएस सॉफटवेयर पर लंबित रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार वरिष्ठ लिपिक श्रीमती रूमा रानी को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्त चालानों से सम्बन्धित प्रविष्टि को सीआईएस सॉफटवेयर से निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करे। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उपरोक्त चालान भविष्य में किसी अन्य न्यायालय में पाये जाते है, या पक्षकार द्वारा चालान निस्तारित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तब वह चालान नियमानुसार पुर्नस्थापित (Restore) कर निस्तारित किये जायेंगे।

उपरोक्त चालानों के अतिरिक्त सीआईएस सॉफटवेयर पर अदिनांकित दर्शित हो रही पत्रावलियों के सम्बन्ध में कार्यालय लिपिकगण को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्त पत्रावलियों की यथास्थिति की जानकारी के सम्बन्ध में खोज करने का प्रयास करें, तथा अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

(रोहित कुमार पाण्डेय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट–तृतीय,
हरिद्वार।